

राजस्थान सरकार

## आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: एफ20(101/19)आयों/आकाशि/2019-20/ 2111

दिनांक : 9/10/2019

### संशोधित आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ20(101/19)आयों/आकाशि/2019-20/384 दिनांक 27.08.19 में बिन्दु संख्या 03 पर अंकित नवीन राजकीय महाविद्यालय, बस्सी जिला जयपुर में स्वीकृत विषय दर्शनशास्त्र के स्थान पर मनोविज्ञान व बिन्दु संख्या 05 पर अंकित नवीन राजकीय महाविद्यालय, जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्वीकृत दर्शनशास्त्र विषय के स्थान पर अर्थशास्त्र विषय पढ़ा जावे।


उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
प्रदीप कुमार बोरड़, IAS  
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं  
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा,  
राजस्थान, जयपुर।  
दिनांक : 9/10/2019

क्रमांक: एफ20(101/19)आयों/आकाशि/2019-20/ 2111

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
5. कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को भेज कर लेख है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा की अनुपालना में खोले गये नवीन विषयों की सम्बद्धता बिना विलम्ब शुल्क जारी करवाने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक एच.आर.डी/प्रशासन कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (अकादमी) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि महाविद्यालयों में प्रवेश संबंधित कार्य सम्पन्न करवाने की कार्यवाही अविलम्ब करावें।
9. प्राचार्य/ नोडल, संबंधित राजकीय महाविद्यालय।
10. वेब प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
संयुक्त निदेशक (आयोजना)